कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

सत्यमेव जयते

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

फाइल संख्या: ए-45011/124/2024-एचआरएम-IV /542 दिनांक: 12 जनवरी 2026

कार्यालय आदेश

विषय: सी. सी. एस. पेंशन नियम 2020 के नियम 42 और एफ. आर. 56जे के तहत समयपूर्व सेवानिवृत्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन समिति का गठन के संबंध में।

यह श्री अनिल मधुकर कटोले, एलडीसी द्वारा उनके समयपूर्व सेवानिवृत्ति के विरुद्ध एफआर 56जे और सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 42 के तहत दिए गए अभ्यावेदन के संदर्भ में है।

2. अधोहस्ताक्षरी को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन की सूचना देने के निदेश दिए गए हैं, जिसके तहत आंचलिक कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी से नीचे के पद और समकक्ष पद के कर्मचारियों के संबंध में एफ.आर. 56जे और सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 42 के तहत समय से पहले सेवानिवृत्ति के विरुद्ध निम्नलिखित सदस्यों की प्रतिवेदन समिति के गठन के संबंध में:

i. श्री डी. रेमेई, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(मुख्यालय) अनुपालन ,सदस्य

ii. श्री विपिन कुमार शर्मा, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सामाजिक सुरक्षा और ई.डी.एल.आई. के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), सदस्य

iii. श्री सुनील कुमार सुमन, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सतर्कता), सदस्य

3. कृपया सूचनार्थ

आदित्य

(आदित्य साह)

क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-IV)

प्रति,

1. सभी संबंधित अधिकारीगण।
2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त(एनडीसी) - आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |